बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– 02/लेखा–08/2015 बी0प्र0 3268/कृ0, पटना, दिनांक– 02-07-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 361.45 लाख (तीन करोड़ एकसठ लाख पैंतालीस हजार) रूपये सहायक अनुदान के लिए स्वीकृत उद्व्यय अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 3.61 लाख (तीन लाख एकसठ हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बंध में सूचित करना है कि सरकार के अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 5222, (पी0पी0एम0) कृषि दिनांक 23.10.2013 के द्वारा बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2016–17 तक कुल 1480.04 (चौदह करोड़ अस्सी लाख चार हजार) लाख रूपये अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कुल 376.35 लाख रूपये सहायक अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. राज्य के कृषकों को विभिन्न फसलों के अधिक उपजशील प्रभेदों के गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने हेतु ऐसे गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं अभिसंस्करण सुनिश्चित कराने तथा प्रत्येक स्तर पर एजेन्सी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक कुल 4 वर्षों के लिए सहायक अनुदान राशि की स्वीकृत प्रदान की गई है।

3. सिंचाई विशेषज्ञ, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–**पी0पी0एम0–01/2015–1193 कृ0 पटना** दिनांक 04.03.2015 एवं निदेशक (पी0पी0एम0) के गै0स0प्रे0सं0–99 दिनांक 13/04/2015 द्वारा लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विपत्र कोडवार बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंन्सी को वित्तीय वर्ष 2015–16 में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृत कुल 361.45 लाख **(तीन करोड़ एकसठ लाख पैंतालीस हजार)** रूपये उदव्यय अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए कुल **3.61 लाख (तीन लाख एकसठ हजार)** रूपये मात्र सहायक अनुदान राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

5. वर्ष 2015–16 में इस योजना के अधीन निकासी के लिए स्वीकृत **3.61 लाख (तीन लाख एकसठ हजार)** रूपये मात्र का व्यय मुख्य शीर्ष–2401 –फसल कृषि कर्म– उप मुख्यशीर्ष–00– लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्र उप योजना– उपशीर्ष–0140–बीज उत्पादन कार्यक्रम विपत्र कोड–P2401007960140 राज्य योजना स्कीम कोड **AGR-5015** विषय शीर्ष–31 04 सहायक अनुदान–वेतन के अधीन उपबंधित **3.61** लाख **(तीन लाख एकसठ हजार)** रूपये से विकलनीय होगा।

6 प्रधान सचिव, वित्त विभाग के पत्रांक– को0प्र0 / विविध–06 / 2015–4051 वि0 दिनांक 28.04.2015 द्वारा बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी का कोषागार में संधारित **डी0डी0ओ0 कोड** के निरस्त होने तथा वित्त विभाग के पत्रांक 4052 दिनांक 28.04.2015 के आलोक में स्वीकृत 3.61 लाख (तीन लाख एकसठ हजार) रूपये की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा निकासी के उपरान्त अनुदान की राशि निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को उनके पी0एल0 खाता में जमा करने हेतु उपलब्ध करायी जाएगी।

7. राज्य सरकार द्वारा घटकवार स्वीकृत कार्य योजना की राशि के अन्तर्गत राशि का व्यय बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि निदेशक के माध्यम से कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–82 / 06 के पृ0सं0–150 / टि. पर दिनांक :17.09.2013 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10.. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–02 / लेखा–08 / 2015 बी0प्र0 के पृ0सं0– ...05... / टि0 पर दिनांक ...26/6/15... को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29/6/15

(रामजी सिंह)
संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 02/लेखा–08/2015 बी0प्र0 3268 /कृ0, पटना दिनांक 02-07-2015

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/15

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/लेखा–08/2015 बी0प्र0 3268 /कृ0, पटना दिनांक 02-07-2015

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/15

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/लेखा–08/2015 बी0प्र0 3268 /कृ0, पटना दिनांक 02-07-2015

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/15

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/लेखा–08/2015 बी0प्र0 3268 /कृ0, पटना दिनांक 02-07-2015

प्रतिलिंपिः– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0 (कृषि विभाग), बिहार, पटना/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना/कृषि निदेशालय बिहार पटना के सभी सम्बंधित पदाधिकारीगण/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक (शष्य) बीज, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (बीज विश्लेषण) बिहार, पटना/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/15

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/लेखा–08/2015 बी0प्र0 3268 /कृ0, पटना दिनांक 02-07-2015

प्रतिलिपिः– उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/6/15

संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।